

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2018—श्रावण 6, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 12532-254-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०१८

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१८

[ दिनांक २३ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गईं ]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१८ है.

अनुसूची संशोधन.

का

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
३१.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट.	विंध्य शिक्षा समिति, सरदार पटेल केम्पस, गायखूरी, बालाघाट.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी, डोंगरिया, वारासिवनी रोड, बालाघाट.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३२.	डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, खण्डवा.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट), भोपाल.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	डॉ. सी. वी. रमन, विश्वविद्यालय, पोस्ट-छैगांव माखन, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३३.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर.	स्व. श्री बलवीर सिंह गौतम, शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, छतरपुर.	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, नेशनल हाईवे ८६, ग्राम पंचायत बूदौर, जिला छतरपुर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक १० सन् २०१८) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 12532-254-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक २६ सन् २०१८) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

NO. 26 OF 2018

## THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 23rd July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th July, 2018.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhinyam, 2007.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhinyam, 2018. **Short title.**

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhinyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 30 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:— **Amendment of Schedule.**

S. No.	Name of private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"31.	Sardar Patel University, Balaghat.	Vindhya Shiksha Samiti, Sardar Patel Campus, Gaykhuri, Balaghat.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sardar Patel University, Knowledge City, Dongariya, Waraseoni Road, Balaghat.	Whole of Madhya Pradesh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Dr. C. V. Raman University, Khandwa.	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Dr. C. V. Raman University, Post-Chhegaon Makhan, Tehsil Khandwa, District Khandwa.	Whole of Madhya Pradesh.
33.	Shri Krishna University, Chhatarpur.	Late Shri Balbeer Singh Gautam Shiksha Prasar Evam Jankalyan Samiti, Chhatarpur.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Shri Krishna University, Sagar Road, National Highway 86, Village Panchayat Budaur, District Chhatarpur.	Whole of Madhya Pradesh.”.

**Repeal and saving.**

3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2018 (No. 10 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.